सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/ATY-2854/HR/3/2025-RU-IV

दिनांक : 28.11.2025

सेवा मे,

जिलाधीश,
जिला - यमुनानगर ,
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय,
एनएच 73, हुडा, जगाधरी,
यमुनानगर, हरियाणा 135003
ई-मेल: dcynr@hry.nic.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला - यमुनानगर
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
यमुनानगर, हरियाणा 135003
ई-मेल: spynr@hry.nic.in

विषय: बलात्कार एवं शारीरिक प्रताड़ना के संबंध में शिकायत -सुश्री अनामिका कोरवा, पुत्री श्री राजेन्द्र कोरवा, निवासी -माझगांव, थाना-डुमरी, जिला-गुमला) झारखंड (का दिनांक 10.07.2025 का पत्र ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 31.10.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्टकी गई कार्रवाई /की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

28.11.2025

(यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav)
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

सुश्री अनामिका कोरवा,
पुत्री श्री राजेन्द्र कोरवा,
निवासी -माझगांव, थाना-डुमरी,
जिला-गुमला, झारखंड
Mobile No:8750718191

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/ATY-2854/HR/3/2025-RU-IV

बलात्कार एवं शारीरिक प्रताड़ना के संबंध में सुश्री अनामिका कोरवा, पुत्री श्री राजेन्द्र कोरवा, निवासी- माझगांव, थाना-डुमरी, जिला-गुमला (झारखंड), से प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 31.10.2025 को लोक नायक भवन , खान मार्केट, नई दिल्ली में हुई सिटिंग का कार्यवृत।

सुनवाई की तिथि एवं समय : 31.10.2025 को 11:40 बजे अपराह्न
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार

संबंधित अभ्यावेदन, सुश्री अनामिका कोरवा, पुत्री श्री राजेन्द्र कोरवा, निवासी- माझगांव, थाना-डुमरी, जिला-गुमला (झारखंड) के दिनांक 10.07.2025 के पत्र द्वारा आयोग में प्राप्त हुआ । इसमें सुश्री अनामिका कोरवा ने उनके साथ किसी सौरभ नामक व्यक्ति द्वारा निरंतर शारीरिक शोषण तथा बलात्कार संबंधी घटना का उल्लेख किया है । सुश्री अनामिका कोरवा ने अपने अभ्यावेदन में आगे यह उल्लेख किया है कि यमुनानगर पुलिस द्वारा इस संबंध में उनकी कोई सहायता नहीं की गई तथा प्रार्थिनी के पिता के साथ मार-पीट की गई ताकि प्रार्थिनी अपना ब्यान बदल ले। सुश्री अनामिका कोरवा ने आयोग से इस मामले को गंभीरता लेने और इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

2. इस प्रकरण में आयोग द्वारा 15 दिनों की अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिलाधीश तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर (हरियाणा) को दिनांक 19.08.2025 को नोटिस जारी किया।

3. आयोग के नोटिस के संदर्भ में दिनांक 02.09.2025 को उपायुक्त, यमुनानगर, हरियाणा से अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। तथापि, उक्त अंतरिम उत्तर के पश्चात् संबंधित प्राधिकारी द्वारा कोई विस्तृत या अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

4. मामले की गंभीरता एवं शिकायतकर्ता के निरंतर अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग ने विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ सुनवाई निर्धारित की । इस संदर्भ में आयोग द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को सुनवाई हेतु समन दिनांक 22.10.2025 को जारी किए गए ।

5. जिलाधिकारी, यमुनानगर (हरियाणा) ने सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए अनुरोध किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर (हरियाणा) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में सम्मिलित हुए, जबकि उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।शिकायतकर्ता स्वयं आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

6. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने आयोग को अवगत कराया कि मेडिकल जांच एवं मैजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के समय कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा उन पर दबाव बनाया गया था। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि वह अब पुनः मेडिकल जांच एवं मैजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देने के लिए तैयार हैं।

7.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं डीएसपी, यमुनानगर (हरियाणा) ने आयोग को सूचित किया कि शिकायतकर्ता ने पहले मेडिकल जांच एवं मैजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देने से मना किया था। यह भी बताया गया कि मैजिस्ट्रेट महिला अधिकारी थीं और बयान

शिकायतकर्ता से अकेले में लिया गया था। उस दौरान शिकायतकर्ता ने लिखित रूप में मना किया था और उस दस्तावेज़ पर उनके पिता के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं।

8. शिकायतकर्ता के साथ उपस्थित सहयोगी ने आयोग को सूचित किया कि शिकायतकर्ता को वन स्टॉप सेंटर पर नहीं रखा गया। साथ ही, यह आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता के पिता को पूरी रात थाने में रखकर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सहयोगी के अनुसार, शिकायतकर्ता के मेडिकल परीक्षण के लिए अनुरोध किए जाने पर भी पुलिस ने डराया-धमकाया, जिसके परिणामस्वरूप वह भागने के लिए मजबूर हुए | शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि उन्हें उनके द्वारा कथित आरोपी के घर पर किए गए कार्य का भुगतान अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

9. आयोग द्वारा इस प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती हैं:

(i) कार्यवृत के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई मेडिकल रिपोर्ट संलग्न की गई है, जिसे आयोग द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर (हरियाणा) को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है ।
(ii) शिकायतकर्ता के पिता की कथित पुलिस प्रताड़ना के आरोपों की जांच भी अलग से कराई जाए तथा संबन्धित थाने के सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग आयोग को भेजी जाए ताकि पूरी घटना का सत्यापन सुनिश्चित हो सके।
(iii) शिकायतकर्ता द्वारा कथित आरोपी के घर पर किए गए कार्य की सम्बंधित संस्था/नियोक्ता से पुष्टि कर बकाया राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
(iv) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर 30 दिनों के भीतर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें।

आशा लकड़ा
12/11/2025
(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi